Office-cum residence

2592

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

ाखण्ड UTTARAKHAND

247676

8 MAY 2015 हरिद्वार

-1-

फार्म-60 UP/85/424/058205 | फार्म-60 पासपोर्ट H6290474

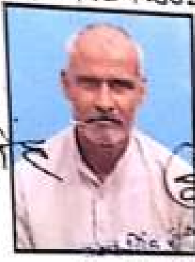

लालसिंह

विक्रय पत्र भूमिधरी ग्रामीण

विक्रय पत्र	:	10,00,000/–रूपये
सर्किल से मालियत	:	10,01,000/–रूपये
स्टाम्प शुल्क	:	50,100/–रूपये
भूमि का प्रकार	:	कृषि भूमि, वर्णित भूमि शत्रु भूमि नही है।
विक्रीत भूमि का क्षेत्रफल	:	0.6700 हेक्टेयर

अवलोकित पी०अ०

लालसिंह

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 15000 FIFTEEN THOUSAND RUPEES

पन्द्रह हजार रुपये Rs. 15000

सत्यमेव जयते INDIA

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

217502

-2-

सर्किल रेट		सर्किल रेट लिस्ट के पृष्ठ 20 क्रमांक 9(झ)6 के अनुसार 11,50,000/-प्रति हैक्टेयर वार्षिक लगान 13.40/- रूपये जिसके 800 गुने पर मालियत 10720/-रूपये उक्त भूमि 5 मीटर से कम चौडे मार्ग पर स्थित है।
सडक	:	प्रमुख मार्ग हरिद्वार – लक्सर रोड से लगभग 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।
स्थित	:	ग्राम हरदेवपुर सहदेवपुर उर्फ रानीमाजरा अहतमाल, परगना ज्वालापुर, तहसील व जिला हरिद्वार

विक्रेता व केता दोनों अनुसूचित जाति से हैं।

विदित हो कि निम्नलिखित भूमि जिसका मै विकेता **लाल सिंह पुत्र श्री जगरी निवासी ग्राम हरदेवपुर सहदेवपुर उर्फ रानीमाजरा, परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार** स्वामी, अधिकारी व संकमणीय भूमिधर हूं और मुझ विकेता को उक्त भूमि को विक्रय आदि करने के पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। निम्न भूमि आज तक के हर प्रकार के ऋण वर्तन आदि के भार से शुद्ध एवं मुक्त है, कहीं पर आड रहन या बंधक नहीं है और न ही निम्न भूमि को बंधक करके कोई ऋण आदि किसी महकमें, बैंक, कम्पनी, सोसाईटी आदि से लिया हुआ है। मैं विकेता निम्न भूमि को विक्रय करने में पूर्ण रूप से

लालसिंह

Office-cum residence

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

दस हजार रूपये

भारत

रु. 10000

Rs. 10000

सत्यमेव जयते

TEN THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

A 222641

A 222641

-3-

स[illegible] अब मुझ विक्रेता ने अपनी निम्न भूमि को अपनी स्वस्थ इन्द्रियों तथा स्थिर बुद्धि की अवस्था में अपनी इच्छा व प्रसन्नता से मय हर प्रकार के स्वत्व व अधिकारों के बदले मुब0 · 10,00,000 / – (दस लाख रूपये) में हाथ **अभिषेक कुमार सिंह पुत्र श्री किशनचन्द निवासी 56, नन्द विहार कालोनी, हरिद्वार, परगना ज्वालापुर, तहसील व जिला हरिद्वार** को विक्रय व हस्तान्तरित कर दी है, कब्जा मौके पर निम्न विक्रीत भूमि पर क्रेता का करा दिया है, वह उसमें अपने लाभ के लिए कोई भी कार्य करे, विक्रय आदि करे कास्त आदि करे और लाभ उठावे। अब मैं विक्रेता प्रतिज्ञा करता हूं और लिखे देता हैं कि आज से विक्रेता व उनके उत्तराधिकारियों का निम्न विकीत भूमि के साथ किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध या वास्ता नहीं रहा है और न भविष्य में होगा। यदि भविष्य में विक्रेता के किसी स्वत्व या कानूनी त्रुटि के कारण या किसी के वाद–विवाद के कारण निम्न विक्रीत भूखण्ड या उसका कोई अंश कब्जा व दखल क्रेता के अधिकार से निकल जावे या उसे कोई भार चुकाना पड़े या कब्जा आदि में कोई रूकावट उत्पन्न हो तो ऐसी हर एक अवस्था में क्रेता को अधिकार होगा कि वह अपनी कुल मूल्य राशि मय सूद वैधानिक विक्रेता की हर प्रकार की चल व अचल सम्पत्ति व जात खास व जायदाद से जिस प्रकार चाहे द्वारा न्यायालय वसूल कर ले। विक्रेता व उनके उत्तराधिकारियों को कोई आपत्ति किसी प्रकार की नहीं होगी। विक्रेता प्रत्येक कानूनी जिम्मेदारियों का जिम्मेदार है जो कानूनन एक विक्रेता पर आयद होती है। निम्न भूमि से सम्बन्धित कोई वाद–विवाद किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और विक्रेता दाखिल खारिज करने में क्रेता का पूरा–पूरा सहयोग करेंगें। निम्न भूमि किसी धार्मिक संस्था या ट्रस्ट

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

K 856485

की नहीं है। विक्रेता व क्रेता के मध्य निम्न भूमि की बाबत कोई इकरारनामा नहीं हुआ है। क्रेता, विक्रेता विदेशी/भारतीय मूल के विदेशी नागरिक नहीं है तथा चीन पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ईरान, एवं नेपाल के नागरिक नही है। यह दस्तावेज विकेता एवं केता द्वारा उपलब्ध कराये गये मालिकाना अधिकार व अन्य पहचानपत्रों के आधार पर अधिवक्ता/दस्तावेज लेखक द्वारा लिखा गया है जिनका सत्यापन दस्तावेज पर हस्ताक्षरित साक्ष्यों द्वारा किया गया है। यदि उपलब्ध कराये तथ्य प्रमाण एवं साक्षीगण किसी भी प्रकार से असत्य पाये जाते हैं तो उसका उत्तरदायित्व लेखक का नहीं होगा। केता के पिता किशनचन्द के नाम जनपद हरिद्वार, उत्तराखण्ड में दिनांक 12/09/2003 से पूर्व से कृषि भूमि है जो उत्तराखण्ड के संक्रमणीय भूमिधर हैं।

<u>सम्पत्ति का विवरण</u> :– जो कि कृषि भूमि खाता सं0 66 खसरा नं0 161 रकबई 0.429 हैक्टेयर, खसरा नं0 160 रकबई 0.441 हैक्टेयर, कुल 2 किते, कुल रकबई 0.8700 है0 स्थित **ग्राम हरदेवपुर सहदेवपुर उर्फ रानीमाजरा अहतमाल, परगना ज्वालापुर**, तहसील व **जिला हरिद्वार**। उक्त भूमि के उत्तर दिशा में चकरोड 10 फुट चौडी है।

<u>विवरण प्राप्त मूल्य राशि</u>:– मुझ विक्रेता ने क्रेता से कुल मुल्य राशि **मु0 10,00,000/– (दस लाख रूपये)** प्राप्त कर ली है। अब कोई मूल्य राशि क्रेता की ओर शेष नहीं रही हैं।

Scanned with CamScanner

रजिट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32 ए के अनुपालन हेतू फिंगर प्रिन्टस

विक्रेता के बांये हाथ के अंगुलियों के निशान

अंगुठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठका

दायें हाथ की अंगुलियों के निशान

अंगुठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठका

क्रेता के बांये हाथ के अंगुलियों के निशान

अंगुठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठका

दायें हाथ के अंगुलियो के निशान

अंगुठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठका

Office-cum residence

अतः यह विकय पत्र लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

तहरीर तारीखः– 11.05.2015 ई0

ह0– लाल सिंह

ह0– [illegible]

सा0– Sanjay Kumar

संजय पु० लाल सिंह
R/o ग्राम रानीमाजरा प० व०
जिला हरिद्वार
V.I.D UP/05/4224582186

सा0– सुशील कुमार

सुशील कुमार पु० नकली राम
R/o ग्राम रानीमाजरा प० व०
जिला हरिद्वार
V.I.D UP/05/42240579
225

टाईपकर्ता– [illegible]

रचियता– हुकमसिंह सैनी 11/5/15
हुकम सिंह सैनी एडवोकेट ...
...
...

बही संख्या 1 जिल्द 3,358 के पृष्ठ 55 से 68 पर क्रमांक 2592

पर आज दिनांक 11 May 2015 को रजिस्ट्रीकरण किया गया।

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /
उप-निबंधक,हरिद्वार,प्रथम
11 May 2015

उप-निबन्धक हरिद्वार I

पत्र सं० 2233/15 आदेश दि० 19/11/15
से असल दस्तावेज वापस किया।

Scanned with CamScanner